

38
का.प्र.अ.स.
896
"उत्तराखण्ड वन-सर्वेक्षण आयोग" 15/02/2020

कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।
वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 1576 / 32-1-2(जी.आई.एस.) दिनांक: देहरादून, 18 मार्च, 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा उत्तराखण्ड
पेयजल संसाधन विकास एवं
निर्माण निगम रुद्रप्रयाग।

विषय :- ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 516/वनभूमि/21 दिनांक 14-02-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित स्थल की केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्दर से होकर जा रही है GIS तकनीकी द्वारा आपके माध्यम से दी गई KML file से सन्निकट आंकलित की गई है।

भवदीय,

18/02/2020
उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम :- ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी ...० किमी० है।

सुलग्न है,


वन क्षेत्राधिकारी

ह०/
प्रभागीय वनाधिकारी

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-20

परियोजना का नाम- ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ह०/-

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र आवेदित वन क्षेत्र का किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का भाग होने, किसी वन्य जीव क्षेत्रों की परिधि के 10 किमी० के अन्तर्गत होने अथवा अन्य वन्य जीव क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा निर्गत किया जायेगा।